



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396]
No. 396]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 1997/आश्विन 16, 1919
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1997/ASHVINA 16, 1919

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1997

आर.बी.ड.सं. 153/97

सा० का० नि० 584 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. लघु नाम और प्रारंभ :—(i) इन नियमों को रेलवे सेवा (सशोधित नियम) 1997 कहा जाएगा।
(ii) इन्हें 1 जनवरी, 1996 से लागू माना जाएगा।
2. उन रेल कर्मचारियों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे :—
 - (i) अन्वया उपलब्ध व्यवस्था या इन नियमों में निहित प्रावधानों को छोड़कर, यह नियम रेल सेवाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों पर लागू होंगे।
 - (ii) ये नियम लागू नहीं होंगे :—
 - (क) पूर्व भारतीय राज्यों के स्थायी कर्मचारी जिन्हें रेल सेवा में सम्मिलित किया गया है, जब तक कि ऐसे कर्मचारों रेल सेवा में पूर्ण समर्पण सेवा विनियमों द्वारा शासित होते हैं;
 - (ख) उन व्यक्तियों पर, जो राजनयिक, कौंसल में अथवा विदेशों में स्थित भारतीय संस्थापनाओं में स्थानांतरण रूप से सेवारत भर्ती हैं;
 - (ग) उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं;
 - (घ) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें आकस्मिक निर्धि से भुगतान किया जाता है;

(ड) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक दर के अलावा अन्य रूप से भुगतान किया जाता है, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केवल मात्रानुसार दर पर भुगतान किया जाता है ;

(घ) उन व्यक्तियों पर जो ठेके पर कार्य कर रहे हैं । केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जहां ठेके में अन्य प्रकार से इसका प्रावधान किया गया हो ;

(छ) उन व्यक्तियों पर जो सेवा-निवृत्ति के बाद पुनः रेल नौकरी में लगाए गए हो ;

(ज) उन किसी भी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा सारे कार्यों से अथवा इन नियमों में निहित प्रावधानों से विशेष रूप से अलग रखा गया हो ।

3. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "मूल वेतन" का आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतनमान में आहरित किया जाता है, जिसमें स्थिरीकरण वेतन-वृद्धियां भी शामिल हैं, परन्तु इनमें "विशेष वेतन", "वैयक्तिक वेतन", आदि जैसा अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ।

(ii) रेल कर्मचारियों के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" का आशय उस वर्तमान वेतनमान से है जो रेल कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी, 1996 को मूल अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा) जैसा भी मामला हो, पर लागू वैयक्तिक वेतनमान लागू है।

स्पष्टीकरण:- उस रेल कर्मचारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 1996 को विदेश में प्रतिनियुक्ति पर अथवा अवकाश पर अथवा विदेश सेवा में था या जिसने उस तारीख को एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था, परन्तु उच्चतर पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की स्थिति में उसके मौजूदा वेतनमान में उसके द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान भी शामिल होगा । लेकिन भारत से बाहर उसे प्रतिनियुक्ति पर या अवकाश अथवा विदेश सेवा में जैसा भी मामला हो, होने की स्थिति में, परन्तु इसके उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने की स्थिति में ;

(iii) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद/ग्रेड के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" का आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख उसके कालम 3 में पद के सामने किया गया है ;

(iv) "संशोधित परिलब्धियों" का तात्पर्य संशोधित वेतनमान में रेल कर्मचारी के मूल वेतन से है जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त, उसे स्वीकार्य संशोधित प्रैक्टिस बंदी

भत्ता, यदि कोई हो, भी शामिल है ;

- (V) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद के संबंध में 'संशोधित वेतनमान' का तात्पर्य उसके कालम 4 में पद के सामने उल्लेख किए गए वेतनमान से है बशर्ते कि उस पद के लिए अलग से भिन्न भिन्न संशोधित वेतनमान अधिसूचित न किए गए हों ;
- (VI) 'अनुसूची' का तात्पर्य इन नियमों के परिशिष्ट के रूप में संलग्न अनुसूची से है ।
4. पदों के वेतनमान :- प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित प्रत्येक पद/ग्रेड के वेतनमान का उल्लेख उसके कालम 4 के सामने किया जाएगा ।
5. संशोधित वेतनमानों में वेतन का आहरण :- इन नियमों में अन्यथा निहित प्रावधानों को छोड़कर, कोई भी रेल कर्मचारी अपने पद पर लागू संशोधित वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करेगा ।

बशर्ते कि कोई रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती-वेतन वृद्धि की तारीख तक, अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक मौजूदा वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है ।

स्पष्टीकरण 1 - इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में ही अनुमेय होगा ।

स्पष्टीकरण 2 - ऊपर कहा गया विकल्प 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह सरकारी सेवा में नया ही क्यों न आया हो अथवा प्रथम स्थानान्तरण या पदोन्नति पर क्यों न हो उसे केवल संशोधित वेतनमान में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी ।

स्पष्टीकरण 3 - जहां कोई रेल कर्मचारी अपने स्थानापन्न तथा नियमित पद पर कार्यरत रहते हुए भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 1313 (मूल नियम 22) अथवा किसी अन्य नियम के तहत अपने वर्तमान वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प चुनता है तो उसका मूल वेतन वही माना जाएगा जो वह स्थायी नियुक्ति के तौर पर प्राप्त करता अथवा स्थानापन्न पद पर रहते हुए अगर उसका वेतन स्थायी नियुक्ति के वेतनमान से अधिक हो जाए तो इन दोनों में से उच्चतर वेतनमान ही उसका मूल वेतनमान माना जाएगा ।

6. विकल्प का प्रयोग

(1) नियम 5 के अंतर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस फार्म पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उप नियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के तीन माह के अंदर पहुंच जाने चाहिए अथवा जहां वर्तमान वेतनमान निर्धारित करने की तारीख के बाद किसी आदेश द्वारा संशोधित किया जाता है तो वहां संशोधित नियम के प्रकाशन की तारीख से तीन माह तक मान्य होगा।

बशर्ते कि :

(i) उस मामले में यदि कोई रेल कर्मचारी उस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख को देश से बाहर हो, छुट्टी पर हो, विदेश सेवा में हो या सक्रिय सेवा में हो, चयन का विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के भारत में आने और यहां का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के भीतर लिखित रूप से पहुंच जाए, तथा

(ii) जहां कोई रेल कर्मचारी 1 जनवरी, 1997 को या इसके पहले निलंबित हो जाए और उसके काम पर लौटने की तारीख इस उप नियम के प्रकाशित होने की तारीख के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अंदर लिखित विकल्प दे सकता है।

(2) विकल्प का चयन रेल कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को दिया जाएगा।

(3) अगर रेल कर्मचारी का लिखित विकल्प उप नियम 1 के अनुसार निर्धारित तारीख के अंदर नहीं प्राप्त होता तो यह मान लिया जाएगा कि वह संशोधित वेतनमान द्वारा शासित है और उसे 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

(4) एक बार चयन का जो विकल्प दे दिया जाएगा उसे ही अंतिम माना जाएगा।

नोट 1:- जिन लोगों की सेवा 1 जनवरी, 1996 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई और जो मृत्यु, स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण पदभार मुक्त कर दिए जाने के कारण, इस्तीफा अथवा अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त किए जायें इत्यादि कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी इस नियम की पात्रता का अधिकार होगा।

नोट 2:- जो लोग 1 जनवरी, 1996 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय-सीमा के अंदर संशोधित वेतनमान के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी 1 जनवरी, 1996 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से उन्हें नये वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा

जैसा कि उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभकारी हो। अगर संशोधित वेतनमान उनके हक में है तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

7. संशोधित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण

(1) किसी भी रेल कर्मचारी ने यदि नियम 6 के उप नियम (3) के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के लिए अपना विकल्प दे दिया है तो उसे 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान के अनुसार ही वेतन मिलेगा जब तक कि राष्ट्रपति का कोई विशेष आदेश या निर्देश न हो। ऐसे कर्मचारी का वास्तविक वेतन वही माना जाएगा जो इस पद पर स्थायी तौर पर बने रह कर प्राप्त करता अगर उसे निलंबित नहीं किया जाता और अगर वह स्थानापन्न पद पर है तो उसके मूल वेतन का निर्धारण निम्नांकित तरीके से होगा :-

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में :-

(i) उनके वर्तमान वेतन में मूल वेतन का 40 प्रतिशत उनकी "मौजूदा परिलब्धियों" में जोड़ दिया जाएगा।

(ii) इस प्रकार से बढ़ाई गई मौजूदा परिलब्धियों के बाद संशोधित वेतनमान में वेतन को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा जो इस बड़े वेतनमान से अगले चरण का वेतनमान होगा।

द्वारा कि :-

(क) यदि संशोधित वेतनमान की न्यूनतम राशि, इस बड़े वेतनमान से ज्यादा हो तो संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर कर्मचारी का नया वेतन निर्धारित होगा :

(ख) अगर इस प्रकार बढ़ा वेतन संशोधित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो कर्मचारी का नया वेतन संशोधित वेतनमान के अधिकतम पर निर्धारित होगा।

द्वारा कि :-

रेल कर्मचारी के वेतन का निर्धारण करते समय अगर उसे लगातार चार बार से अधिक वर्तमान वेतनमान में समूहबद्ध होना पड़ा हो अर्थात् उसे संशोधित वेतनमान में उस समय स्थायी होना पड़े जब उसने लगातार चार बार वर्तमान वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्जित कर रखी हो तो उन्हें उस वेतनमान में तरक्की देकर निम्नलिखित तरीके से उस स्थान तक पहुंचाया जाएगा, जहां वे -

- (क) अगर उन्होंने वर्तमान वेतनमान में 5 से लेकर 8 वेतनवृद्धि हासिल की हो तो उन्हें संशोधित वेतनमान की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी ।
- (ख) अगर रेल कर्मचारी ने वर्तमान वेतनमान में 9 से लेकर 12 वेतनवृद्धियां हासिल की हो, यदि समूहबद्धता 8वें स्टेज से ऊपर हो तो उसे संशोधित वेतनमान की 2 वेतनवृद्धियां दी जाएंगी ।
- (ग) अगर रेल कर्मचारी ने वर्तमान वेतनमान में 13 से लेकर 16 तक वेतनवृद्धियां हासिल की हो, यदि समूहबद्धता 12 वें स्टेज से ऊपर हो तो उसे संशोधित वेतनमान की 3 वेतनवृद्धियां दी जाएंगी ।

उपर्युक्त ढंग से वेतन में वृद्धि किए जाने से यदि किसी रेल कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतनमान के उस स्टेज पर निर्धारित है जो कि अगली उच्च स्टेज अथवा स्टेजों वाले वेतनमान वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जाएगा जितनी कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो ।

बशर्ते यह भी कि :-

इस प्रकार से किया गया निर्धारण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक तीन वेतनवृद्धि पर स्थिरीकरण वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों सहित, यदि कोई हो) संशोधित वेतनमान की कम-से-कम एक वेतनवृद्धि प्राप्त हो ।

स्पष्टीकरण - इस उप खण्ड के प्रयोजन के लिए 'वर्तमान परिलब्धियों' में शामिल होगा,

- (क) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन ;
- (ख) सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर देय उपयुक्त महंगाई भत्ता ; तथा
- (ग) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन पर देय अंतरिम राहत की पहली तथा दूसरी किरत ;
- (ख) उन कर्मचारियों, जो वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके वेतनमान के स्थान पर ऐसे वेतनमान की सिफारिश की गई है, जिसमें वेतन/भत्ता न हो, के मामलों में उनके वेतन का निर्धारण खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित वेतनमान में किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में 'मौजूदा परिलब्धियां' शब्द जोड़ दिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -
- (क) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन ;

(ख) विशेष वेतन/भत्ता की वर्तमान राशि ;

(ग) संगत आदेशों के अधीन 1510 सूचकांक औसत (1960=100) पर देय महंगाई भत्ता ,और

(घ) वर्तमान वेतनमान के मूल वेतन पर देय अंतरिम राहत की पहली तथा दूसरी किस्त तथा संगत आदेशों के अधीन विशेष वेतन की राशियां ;

(ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त अन्य नाम पद्धति के अंतर्गत विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, सचिवालय सहायकों के लिए विशेष वेतन, केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता/वेतन के साथ संशोधित वेतनमान उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे ऐसे मामलों में नई संस्तुत दर पर संशोधित वेतनमान पर वेतन के अतिरिक्त भत्ते प्राप्त होंगे ।

(घ) रेल चिकित्सा अधिकारियों के मामले में चिकित्सा अधिकारी जो कि प्रैक्टिस बंदी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं संशोधित वेतनमान में वेतन उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होगा सिवाय इसके कि "वर्तमान परिलब्धियों" में प्रैक्टिस बंदी भत्ता शामिल नहीं होगा तथा उसमें मात्र निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन ;

(ख) संगत आदेशों के अंतर्गत मूल वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता तथा सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता, और

(ग) मौजूदा वेतनमानों में मूल वेतन पर दी गई अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त तथा प्रारंभिक आदेशों के तहत देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता ।

तथा ऐसे मामलों में नयी दर पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता संशोधित वेतनमानों पर यथा निर्धारित वेतन के अतिरिक्त होगा ।

नोट 1:- 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रु. के मौजूदा वेतनमान में 1030 रूपए तक वेतन प्राप्त करने वाले रेल कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण एस-2 वेतनमान में किया जाएगा तथा 1030 रूपए से अधिक वेतन पाने वालों का निर्धारण एस-3 के वेतनमान के वेतन में किया जाएगा ।

नोट 2:- उस स्थिति में जबकि किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि जनवरी, 1996 की पहली तारीख को हो रही है तो उसके पास वेतनवृद्धि को मौजूदा वेतनमान या संशोधित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा ।

नोट 3:- जहां कि कोई रेल कर्मचारी जनवरी, 1996 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो तो वह संशोधित वेतनमान के लिए उसी दिन से हकदार होगा जिस दिन वह ड्यूटी पर आएगा । निलंबित रेल कर्मचारी के मामले में वह मौजूदा वेतनमान पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतनमान में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर अंतिम निर्णय लिए जाने के अधीन होगा ।

नोट 4:- जब कोई रेल कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार निर्धारित वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा ।

इस नोट के प्रावधान उन रेल कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे जो विभिन्न मौजूदा वेतनमानों के स्थान पर एक संशोधित वेतनमान वाले स्थानापन्न पद पर कार्यरत हैं ।

नोट 5:- खंड (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार यदि किसी रेल कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियां संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं तो उस अंतर को भविष्य में वेतनवृद्धि के लिए व्यक्तिगत वेतन में समाहित कर लिया जाएगा ।

नोट 6:- जहां उपनियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 1996 के तुरंत पहले समान कैडर के किसी कनिष्ठ रेल कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा संशोधित वेतनमान में उसका वेतन एक ऐसी स्टेज पर निर्धारित है जो कि उस कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन उसी संशोधित स्टेज तक बढ़ा दिया जाएगा जिस स्टेज पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो ।

नोट 7:- जहां कोई रेल कर्मचारी 1 जनवरी, 1996 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो जो कि खंड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) जैसा भी मामला हो, के अनुसार परिकलित होने पर उसकी मौजूदा परिलब्धियां जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आधिक्य वाले अंतर को वेतन की भावी वृद्धियां कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित कर लिया जाएगा ।

नोट 8:- उन कर्मचारियों के मामलों में जो कि 1 जनवरी, 1996 के पूर्व "हिंदी शिक्षण योजना" के अंतर्गत हिंदी प्राज्ञ, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपिक तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए या रोकड़ शाखा एवं लेखा मामलों में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह व्यक्तिगत वेतन संशोधित वेतनमानों में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 1996 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतनमान का निर्धारण न होने की स्थिति में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से वेतनवृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करता रहता।

स्पष्टीकरण - इस नोट के लिए, "संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धि की उचित दर" का अर्थ होगा, संशोधित वेतनमान पर कर्मचारी के वेतन निर्धारण के तुरंत बाद उसे देय वेतनवृद्धि की राशि।

नोट 9- ऐसे मामलों में जहां किसी रेल कर्मचारी की एक जनवरी, 1996 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 1 जनवरी, 1996 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है तब उस स्थिति में वरिष्ठ रेल कर्मचारी का वेतन उसी मात्रा में बढ़ा दिया जाए जो कि उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिया जा रहा है यह वृद्धि कनिष्ठ रेल कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ रेल कर्मचारियों को एक ही कैडर का होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह कैडर में समान पद होने चाहिए।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के संशोधन पूर्व तथा संशोधित वेतनमान, जिनमें कि वे वेतन पाने के अधिकृत हैं, समान होने चाहिए।

(ग) वरिष्ठ रेल कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-2 नियम 1313 (मूल नियम 22) के प्रावधानों के लागू होने के कारण अथवा किसी संशोधित वेतनमानों में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त

करता रहा है तो इस नोट के प्रावधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारी के वेतन का पुनर्निर्धारण भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-2, नियम 1321 (मूल नियम-27) के अंतर्गत होना चाहिए तथा वह अधिकारी अगली वेतनवृद्धि के लिए उसके वेतन पुनर्निर्धारण के समय आवश्यक अर्हक सेवा पूरी कर चुका हो।

(2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन, उप नियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर यथानिर्धारित वेतन मूल पद में नियत किए गए वेतन से कम है तो पूर्व को मूल वेतन के अगली स्टेज से ऊपर नियत किया जाएगा।

8. **संशोधित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख** - कोई रेल कर्मचारी, जिसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के अनुसार संशोधित वेतनमान में नियत किया गया है तो उसकी अगली वेतनवृद्धि उसी तारीख को दी जाएगी जिस तारीख को उसने वर्तमान वेतनमान में जारी रहने की अवस्था में वेतनवृद्धि प्राप्त करनी थी।

बशर्ते कि जहां एक रेल कर्मचारी का वेतन उप नियम (1) के नोट 6 या 9 की शर्तों और नियम 7 के उप नियम (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन बढ़ाया गया हो तो ऐसे मामलों में अगली वेतनवृद्धि संशोधित वेतनमान सेवा में बढ़ाई गई तारीख से 12 माह की अर्हक सेवा के पूरी करने के पश्चात् दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त यह भी कि ऐसे मामले, जो पूर्व परंतुक में नहीं आते हैं, में एक रेल कर्मचारी की अगली वेतनवृद्धि जिसका वेतन 1 जनवरी, 1996 को नियत किया गया हो, उसी कैडर में उससे कनिष्ठ एक अन्य रेल कर्मचारी, जो मौजूदा वेतनमान में उससे निम्न स्तर का वेतन पा रहा हो, के समान उसी तारीख को प्रदान की जाएगी यदि उससे कनिष्ठ की वेतनवृद्धि की तारीख पहले पड़ती है।

यह भी कि ऐसे व्यक्ति, जो 1 जनवरी, 1996 को मौजूदा वेतनमान का अधिकतम वेतन एक वर्ष से अधिक समय से पा रहे थे, को 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि दी जाएगी।

नोट 1:- ऐसे मामलों में, जहां दो मौजूदा वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिए पदोन्नति वेतनमान होने के कारण मिला दिया गया हो और जब कनिष्ठ रेल कर्मचारी अपना वेतन अब निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा संशोधित वेतनमान में वह

मौजूदा उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ रेल कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो ऐसी स्थिति में संशोधित वेतनमान में वरिष्ठ रेल कर्मचारी का वेतन बढ़ाकर उसी तारीख से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और इस प्रकार बढ़ाए गए वेतन की तारीख से अर्हक अवधि पूरी करने पर ही वह अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा ।

9. 1 जनवरी, 1996 के बाद संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण-

यदि कोई रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और 1 जनवरी, 1996 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाता है तो बाद की तारीख से संशोधित वेतनमान में उसके वेतन का निर्धारण रेलवे मूल नियम के तहत किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए मौजूदा वेतनमान में उसके वेतन का अर्थ यथास्थिति नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क), (ख), (ग), या खंड (घ) के अनुसार वर्तमान परिलब्धियों के रूप में परिकल्पित अर्थ के समान ही होगा, शिवाय इसके कि उन परिलब्धियों के परिकल्पन के संबंध में लिया गया मूल वेतन ही रूपर लिखित बाद की तारीख में उसका मूल वेतन होगा और जहां रेल कर्मचारी विशेष वेतन या प्रैक्टिस बंदी भत्ता प्राप्त करता हो, ऐसे में उसका वेतन, संशोधित दरों में इस प्रकार परिकल्पित परिलब्धियों में से उसके विशेष वेतन या प्रैक्टिस बंदी भत्ते, जैसी भी स्थिति हो, के बराबर की राशि काटकर निर्धारित किया जाएगा ।

10. एक जनवरी, 1996 के बाद पुनर्नियुक्त होने पर उस तारीख से पहले के पद का वेतन निर्धारण - कोई रेल कर्मचारी, जो 1 जनवरी, 1996 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रूप में रहा हो परंतु उस तारीख को उस पद पर न हो और जो बाद में उस पद पर नियुक्त होने पर संशोधित वेतनमान का वेतन पाता है तो उसे भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-2 के नियम 1313, (मूल नियम 22) के परंतुक का लाभ उस स्थिति में दिया जाएगा कि क्या वह 1 जनवरी, 1996 को उस पद पर था और उसने उस तारीख को और उस तारीख से संशोधित वेतनमान लेने का विकल्प दिया था ।

11. वेतन के बकाया के भुगतान की पद्धति - बकाया का भुगतान इस शर्त के साथ नकद किया जाएगा कि जहां बकाया राशि 5000 रु. से कम है, वहां यह राशि एक किस्त में प्रदान की जाएगी और जहां यह राशि 5000 रु. से अधिक है, वहां यह दो किस्तों में भुगतान की जाएगी- पहली किस्त में 5000 रु. तथा बकाया की शेष राशि के 50 प्रतिशत तक का भुगतान किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन हेतु :

(क) किसी रेल कर्मचारी के संबंध में "वेतन बकाया" का अर्थ निम्नलिखित के बीच का अंतर:-

(i) उस वेतन तथा भत्तों का कुल जोड़ जिनके लिए वह इन नियमों के तहत अपने वेतन एवं भत्तों के संशोधित हो जाने के परिणामस्वरूप संबद्ध अवधि के लिए पात्र होगा, और

(ii) उस अवधि के कुल वेतन एवं भत्ते जिसके लिए वह अपने वेतन एवं भत्ते इस प्रकार संशोधित न किए जाने की स्थिति में पात्र होता (चाहे ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त किए गए हैं या नहीं) हो ।

(ख) "संबद्ध अवधि" का अर्थ है 1 जनवरी, 1996 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि ।

12. **नियमों का अधिग्रहण -** रेलवे मूल नियमों के प्रावधानों, रेल सेवा (वेतन का संशोधन) नियम, 1947, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1960 रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973 और रेल सेवा (संशोधित वेतन), नियम 1986, इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे मामलों में जहां इन नियमों के अधीन वेतन नियमित किए जाएंगे, उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक वे इन नियमों के अनुरूप होंगे ।

13. **छूट देने का अधिकार-** राष्ट्रपति, जहां यह मानें कि इन नियमों के सभी या किसी प्रावधानों को लागू करने से किसी विशेष मामले में अड़चन उत्पन्न होती है तो वह उस सीमा तक और उन शर्तों के अधीन उस नियम को लागू करने में छूट देने का आदेश दे सकते हैं जहां तक वे मामले को न्यायसंगत तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझें ।

14. **व्याख्या -** इन नियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या पर यदि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाए ।

प्रथम अनुसूची
(नियम 3 और 4 देखें)* 5620

(1) रेलवे बोर्ड सचिवालय (2) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ (3) रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा (4) रेल दर अधिकरण, चेन्नई (5) रेल दावा अधिकरण, नई दिल्ली (6) रेल संचलन (कोयला), कलकत्ता (7) सभी रेल भर्ती बोर्ड (8) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकन्दराबाद (9) भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे (10) भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी संस्थान, नासिक (11) भारतीय रेल यांत्रिकी एवं विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान, जमालपुर (12) कैमटैक, ग्वालियर के कार्यालयों में समूह "क" "ख" "ग" और "घ" में वर्तमान वेतनमान वाले पदों, उन पदों को छोड़कर जिनके लिए भिन्न-भिन्न संशोधित वेतनमान अलग से अधिसूचित किए गए हैं, के लिए संशोधित वेतनमान :-

क्र. सं.	वेतनमान संख्या	वर्तमान वेतनमान (रु.)	संशोधित वेतनमान (रु.)
1	2	3	4
1	एस-1	750-12-870-14-940	2550-55-2660-60-3200
2	एस-2	775-12-971-14-1025	2610-60-3150-65-3540
3	एस-3	800-15-1010-20-1150	2650-65-3300-70-4000
4	एस-4	925-15-900-20-1200	2750-70-3800-75-4400
5	एस-5	(अ) 950-20-1150-25-1400 (ब) 950-20-1150-25-1500 (स) 1150-25-1500*	3050-75-3950-80-4590
6	एस-6	(अ) 975-25-1150-30-1540 (ब) 975-25-1150-30-1660	3200-85-4900
7	एस-7	(अ) 1200-30-1440-30-1800 (ब) 1200-30-1560-40-2040 (स) 1320-30-1560-40-2040	4000-100-6000
8	एस-8	(अ) 1350-30-1440-40- 1800-50-2200 (ब) 1400-40-1800-50-2300	4500-125-7000
9	एस-9	(अ) 1400-40-1600-50- 2300 60 2600 (ब) 1600-50-2300-60-2660	5000-150-8000

*पदधारी के लिए वैयक्तिक/संदर्भ : पी सी-IV/86/इम्प/शिड्यूल/1 दिनांक 6.3.1987

10	एस-10	1640-60-2600-75-2900	5500-175-9000
11	एस-10ए	1640-60-2600-75-2900	6000-190-9800 (नीचे टिप्पणी 4 देखें)
12	एस-12	(अ) 2000-60-2300-75-3200 (ब) 2000-60-2300-75-3200- 100 3500	6500-200-10500
13	एस-13	2375-75-3200-100-3500	7450-225-11500
14	एस-14	2500-4000 (प्रस्तावित नया पूर्व संशोधित वेतनमान) (नीचे टिप्पणी 1 और 3 देखें)	7500-250-12000
15	एस-15	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
16	एस-19	(अ) 3000-100-3500-125-4500 (ब) 3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
17	एस-21	3700-125-4700-150-5000	12000-375-16500
18	एस-24	(अ) 4100-125-4850-150-5300* (ब) 4500-150-5700	14300-400-18300
19	एस-26	(अ) 5100-150-5700 (ब) 5100-150-6150	16400-450-20000
20	एस-27	5100-150-6300-200-6700	16400-450-20900
21	एस-29	(अ) 5900-200-6700 (ब) 5900-200-7300	18400-500-22400
22	एस-30	7300-100-7600	22400-525-24500
23	एस-31	7300-200-7500-250-8000	22400-600-26000
24	एस-32	7600/- नियत	24050-650-26000
25	एस-33	8000/- नियत	26000/- नियत

*आर.पी.एफ. के लिए, यह वेतनमान पदधारी के लिए वैयक्तिक होगा। इस वेतनमान में पदों की संख्या अलग से अधिसूचित की जाएगी।

अनुदेश :

(1) संशोधित वेतनमान रेलवे कर्मचारियों की समस्त कोटियों के लिए, उनके पदनाम का विचार किए बिना पूर्णतः वर्तमान वेतनमान के आधार पर सिवाय उनके जो कि क्र.सं. 13 (एस-14) के अंतर्गत आती हैं, जो कि वर्तमान वेतनमान रु. 2375-75-3050-100-3750 में रेलवे के ग्रेड "बी" अधिकारियों (रेलवे बोर्ड व आर.डी.एस.ओ. के अतिरिक्त) पर ही लागू होता है, लागू हैं। वेतन का नियतन सीधे संशोधित वेतनमान में होगा न कि नोशनल पूर्व संशोधित वेतनमान में।

(2) संशोधित वेतनमान में रेलवे कर्मचारियों का समूह "घ" "ग" "ख" और "क" में वर्गीकरण अगले आदेशों तक वर्तमान वेतनमान के आधार पर ही रहेगा। संशोधित वेतनमान में वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

(3) प्रस्तावित नया पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 2500-4000 (जो कि संशोधित वेतनमान रु. 7500-12000 का समकक्ष है) वेतनमान रु. 2200-4000 (जो कि संशोधित वेतनमान रु. 8000-13500 के समकक्ष है) से कम वेतनमान है।

(4) संशोधित वेतनमान एस-10 ए (रु. 6000-190-9800) केवल मेल/एक्सप्रेस/सीनियर पैसेंजर ड्राइवर व सीनियर मोटरमैन, जो कि वर्तमान 1640-60-2600-75-2900 के वेतनमान में हैं, की कोटि के लिए लागू है। यह वेतनमान किसी भी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।

दूसरी अनुसूची

दिकल्प फार्म

(नियम 6(1) देखें)

* (i) मैं एतद्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता हूँ।

* (ii) मैं अपने मूल/स्थापनापन्न पद में मौजूदा वेतनमान पर निम्नानुसार बने रहने का चयन करता हूँ :

*मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख

*मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख तक जब तक मेरा वेतन रु. हो जाए

*मैं मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बंद कर दूँ अथवा छोड़ दूँ

वर्तमान वेतनमान

* (iii) मैं (क) वर्तमान वेतनमान में या (ख) संशोधित वेतनमान में ** दिनांक 1 जनवरी, 1996 को होने वाली वेतन वृद्धि का चयन करता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम

दिनांक :

स्थान :

* जो लागू न हो जो काट दिया जाए

** नियम 7 का नोट 2 देखें

कायाली

*श्री/श्रीमती/कुमारी.....*पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
पदनाम.....कार्यालय/स्टेशन.....से एक विकल्प
प्राप्त किया .

- *(i) 1 जनवरी, 1996 से समस्त पदों के लिए संशोधित वेतनमान का चयन ।
- *(ii) अपने मूल/स्थानापन्न पद के वर्तमान वेतनमान पर निम्नानुसार बने रहने का चयन,
 - * अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक
 - *अपनी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख जब तक उसका वेतनरु. हो जाए
 - * वह वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बंद कर दें अथवा छोड़ दे

वर्तमान वेतनमान

- *(iii) वह दिनांक 1.1.96 को होने वाली अपनी वेतनवृद्धि *(क) वर्तमान वेतनमान.....में या *(ख) संशोधित वेतनमान में लेने का चयन करते हैं ।**

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय, जिसमें कार्यरत हैं.....

दिनांक :

लोकेशन :

* जो लागू न हो, काट दिया जाए

** नियम 7 का नोट 2 देखें

प्रथम अनुसूची केवल रेलवे बोर्ड व उससे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदों से संबंधित है । रेलों, उत्पादन इकाइयों, परियोजनाओं व अन्य कार्यालयों के पदों से संबंधित अनुसूची कार्यपालक आदेशों के तहत अलग से जारी की जा रही है ।

रेल सेवाओं के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन

(संशोधित वेतन नियम, 1997)

नियम-1 यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम-2 यह नियम उन कर्मचारियों को कोटिबद्ध करता है जिन पर ये नियम लागू होते हैं। खंड (2) में वर्गीकृत कोटियों को छोड़कर ये नियम राष्ट्रपति के अधिकार में आने वाले एवं रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

नियम-3 यह नियम स्वतः ही स्पष्ट है।

नियम-4 केन्द्र सरकार की कुछ कोटियों/वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों पर उनके द्वारा अन्य कोटियों के लिए संस्तुत वेतन से विसंगति और सापेक्षता के मद्देनजर क्षुब्ध होकर अभ्यावेदन किए गए हैं। इन सभी मामलों में, जहां किसी विभाग या कैडर में पदों की व्यक्तिगत कोटियों के वेतनमान को अपग्रेड किया जाना है, वेतनमान को समीचीन बनाये जाने के अलावा, उनके वर्तमान वेतनमान में संशोधन पहली अनुसूची के अनुसार स्वीकृत होगा। तत्संबंधी आदेश बाद में अलग से जारी किए जाएंगे।

नियम-5 इस नियम का अभिप्राय यह है कि सभी रेल कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अंतर्गत लाया जाए सिवाय उनके जो वर्तमान वेतनमान में ही बने रहना चाहते हैं। जो वर्तमान वेतनमान में ही बने रहना चाहते हैं उन्हें अन्तरिम राहत और महंगाई भत्ते की वे किरस्तें मिलती रहेंगी जो 1 जनवरी, 1996 को लागू थीं और महंगाई भत्ता उस कुल परिलब्धि में शामिल माना जाएगा जो पेंशन आदि के लिए उस तारीख से लागू हैं। अगर रेल कर्मचारी मूल हैसियत से स्थायी पद पर हैं और कार्यवाहक के रूप में उच्चपदस्थ हैं या एक या अधिक पदों पर कार्यरत रहा होता, अगर वह प्रतिनियुक्ति आदि पर नहीं होता तो उसे एक वेतनमान के संबंध में मौजूदा वेतनमान को रखने का विकल्प होगा। वह रेल कर्मचारी किसी स्थायी पद या कार्यवाहक पदों को लागू मौजूदा वेतनमान को रख सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे अनिवार्यतः संशोधित वेतनमान में लाया जाएगा।

नियम-6 यह नियम वह पद्धति विनिर्दिष्ट करता है कि विकल्प का चयन कैसे किया जाए और किस अधिकारी को अपने विकल्प से अवगत कराया जाए। अपना विकल्प नियमों के साथ संलग्न फार्म पर ही उपलब्ध करवाना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेल कर्मचारी के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपना विकल्प चुन ले बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही अपना विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए। अगर इस नियम के लागू होने के समय कोई रेल कर्मचारी देश के बाहर है तो उसे भारत में आकर अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन महीने की समय-सीमा के अंदर अपना विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना होगा। उन रेल कर्मचारियों के लिए, जिनके पदों के संशोधित वेतनमान इन नियमों के जारी होने की तारीख के बाद घोषित किए जा चुके हैं, तीन महीने की अवधि ऐसी घोषणा की तारीख के बाद से मानी जाएगी।

जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1996 और इन नियमों के जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी अपना विकल्प चुनने का अधिकार होगा।

नियम-7 (1) इस नियम का संबंध 1 जनवरी, 1996 को मौजूदा वेतनमानों में वास्तविक वेतन निर्धारण से है। नियम 7(1) के तहत नोट के अंतर्गत वेतन में वृद्धि करने के अध्याधीन इस उप-नियम के अधीन किसी रेल कर्मचारी का वेतन किस प्रकार नियत किया जाना चाहिए उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :-

उदाहरण-1

1.	मौजूदा वेतनमान	750-12-870-14-940 रु.
2.	प्रस्तावित वेतनमान	2550-55-2660-60-3200 रु.
3.	मौजूदा वेतन	786 रु.
4.	1.1.1996 को महंगाई भत्ता (1510 के सूचकांक पर)	1163 रु.
5.	अंतरिम सहायता की पहली किस्त	100 रु.
6.	अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त	100 रु.
	(मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 100 रु.)	

7.	वर्तमान परिलब्धियां	2149 रु.
8.	मूल वेतन का 40 प्रतिशत जोड़े	314 रु.
	कुल	2463
9.	प्रस्तावित वेतनमान में अगला स्टेज समूहीकरण लाभों सहित, यदि लागू हो।	2550 रु. (न्यूनतम)
10.	वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतनवृद्धि के लिए यदि प्रस्तावित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि सुनिश्चित की है तो प्रस्तावित वेतनमान में वेतन की स्टेज	2605 रु.
11.	प्रस्तावित वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (क्रम सं. 9 या 10 पर वेतन स्टेज इनमें जो भी अधिक हो)	2590 रु.

उदाहरण-III

1.	वर्तमान वेतनमान	1640-60-2600-75-2900 रु.
2.	प्रस्तावित वेतनमान	5500-175-9000 रु.
3.	वर्तमान वेतनमान	2360 रु.
4.	1.1.1996 को महंगाई भत्ता (1510 के सूचकांक पर)	3493 रु.
5.	अंतरिम सहायता की पहली किस्त	100 रु.
6.	अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त (मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 100 रु.)	236 रु.
7.	वर्तमान परिलब्धियां	6189 रु.
8.	मूल वेतन का 40 प्रतिशत जोड़ें	944
	कुल	7133 रु.
9.	प्रस्तावित वेतनमान में अगली स्टेज समूहीकरण लाभों सहित, यदि लागू हो।	

- | | | |
|-----|--|----------|
| 10 | वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतनवृद्धि के लिए यदि प्रस्तावित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि सुनिश्चित की है तो प्रस्तावित वेतनमान में वेतन की स्टेज | 6200 रु. |
| 11. | प्रस्तावित वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (क्रम सं. 9 या 10 पर वेतन की स्टेज जो भी अधिक हो) | 7250 रु. |

उदाहरण-III

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | वर्तमान वेतनमान | 4500-150-5700 रु. |
| 2. | प्रस्तावित वेतनमान | 14300-400-18300 रु. |
| 3 | वर्तमान वेतन | 5400 रु. |
| 4. | 1.1.1996 को महंगाई भत्ता (1510 सूचकांक पर) | 5994 रु. |
| 5. | अंतरिम सहायता की पहली किस्त | 100 रु. |
| 6. | अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त (मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 100 रु.) | 540 रु. |
| 7. | वर्तमान परिलब्धियां | 12034 रु. |
| 8 | मूल वेतन का 40 प्रतिशत जोड़े | 2160 रु. |
| | कुल | 14194 रु. |
| 9. | प्रस्तावित वेतनमान में अगला स्टेज, समूहीकरण लाभों सहित, यदि लागू हो । | 14700 रु. |
| 10. | वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतनवृद्धि के लिए यदि प्रस्तावित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि सुनिश्चित की है तो प्रस्तावित वेतनमान में वेतन की स्टेज | 15100 रु. (मौजूदा वेतनमान में 6 वेतनवृद्धियों के लिए 2 वेतनवृद्धियां) |
| 11 | प्रस्तावित वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (क्रम सं. 9 या 10 पर वेतन की स्टेज इनमें जो भी अधिक हो) | 15100 रु. |

नियम-7(2) इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में देय नहीं होगा जहां किसी रेल कर्मचारी ने अपने मूल पद के लिए संशोधित वेतनमान का चुनाव किया हो लेकिन स्थानापन्न पद के संबंध में मौजूदा वेतनमान को ही बरकरार रखा हो ।

नियम-8 यह नियम उस पद्धति को विहित करता है जिसके अनुसार नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि विनियमित की जानी चाहिए, इस नियम के मूल भाग के कारण अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन पा रहे कनिष्ठ रेल कर्मचारियों की विसंगतियों को इस परन्तुक द्वारा दूर किया जा रहा है और इसके द्वारा उन रेल कर्मचारियों, जो 1.1.1996 को एक वर्ष से अधिक समय से वर्तमान वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो गतिरोध के कारण वर्तमान वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो वास्तव में तदर्थ आधार पर गतिरोध वेतनवृद्धि पा रहे हैं, का भी ध्यान रखा गया है ।

नियम-9 से 14 : ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं ।

[सं. पी. सी. V/1/ सं. पी. सी. -V/97/आई./आर.एस.आर.पी./1]
बी.के. अग्रवाल, सदस्य (कार्मिक), रेलवे बोर्ड और पदेन सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1997

RBE No. 133/97

G.S.R. 584 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement** :-

- (1) These rules may be called the **Railway Services (Revised Pay) Rules 1997**.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the **1st day of January, 1996**.

2. **Categories of Railway servants to whom the rules apply** :-

- (1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to Railway Services.
- (2) These rules shall not apply to :-
 - (a) Permanent employees of former Indian States absorbed in Railway Services so long as such persons continue to be governed by the pre-absorption conditions of service under the Railway Services;
 - (b) Persons locally recruited for service in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;
 - (c) Persons not in whole-time employment;
 - (d) Persons paid out of contingencies;

- (e) Persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate basis;
- (f) Persons employed on contract except where the contract provides otherwise;
- (g) Persons re-employed in Railway service after retirement;
- (h) any other class or category of persons whom the President may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.

3. **Definitions:-** In these rules, unless the context otherwise requires :-

- (1) "basic pay" means pay drawn in the prescribed scale of pay, including stagnation increment(s), but does not include any other type of pay like 'special pay', 'personal pay', etc.
- (2) "existing scale" in relation to a Railway Servant means the present scale applicable to the post held by the Railway servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the 1st day of January, 1996 whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation:- In the case of a Railway servant, who was on the 1st day of January, 1996 on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, "existing scale" includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating in a higher post;

- (3) "Present Scale" in relation to any post/grade specified in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specified against that post in column 3 thereof;
- (4) "revised emoluments" means the basic pay of a Railway servant in the revised scale and includes the revised non-practising allowance, if any, admissible to him, in addition to the pay in the revised scale;
- (5) "revised scale" in relation to any post specified in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specified against that post in column 4 thereof unless a different revised scale is notified separately for that post;
- (6) "Schedule" means a schedule annexed to these rules.

4. **Scale of pay of posts :-**

The scale of pay of every post/grade specified in column 2 of the First Schedule shall be as specified against it in column 4 thereof;

5. **Drawal of pay in the revised scales :-**

Save as otherwise provided in these rules, a Railway servant shall draw pay in the revised scale applicable to the post to which he is appointed;

Provided that a Railway servant may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.

Explanation 1:- The option to retain the existing scale under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

Explanation 2:- The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 1996, whether for the first time in Railway Service, or by transfer or promotion from another post and he shall be allowed pay only in the revised scale.

Explanation 3:- Where a Railway servant exercises the option under the proviso to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale under Rule 1313(FR 22) of the Indian Railway Establishment Code, Volume II or any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be the substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

6. **Exercise of Option :-**

- (1) The option under the proviso to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to the Second Schedule so as to reach the authority mentioned in sub rule(2) within three months of the date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months of the date of such order :-

Provided that :-

- (i) in the case of a Railway Servant who is, on the date of such publication or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India ; and
- (ii) Where a Railway servant is under suspension on the 1st day of January, 1996, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.
- (2) The option shall be intimated by the Railway Servant to the Head of his Office.
- (3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub rule(1), the Railway servant shall be deemed to

have elected to be governed by the revised scale of pay with effect on and from the 1st day of January, 1996.

(4) The option once exercised shall be final.

Note: 1- Persons whose services were terminated on or after the 1st day of January, 1996, and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of death, discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

Note: 2- Persons who have died on or after the 1st day of January, 1996 and could not exercise the option within the prescribed time limit be deemed to have opted for the revised scales on and from the 1st day of January, 1996, or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised scales are more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears should be taken by the Head of Office.

7. **Fixation of initial pay in the revised scale :-**

(1) The initial pay of a Railway servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule(3) of rule 6 to be governed by the revised scale on and from the 1st day of January, 1996, shall, unless in any case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely :-

(A) in the case of all employees :-

- (i) an amount representing 40 per cent of the basic pay in the existing scale shall be added to the 'existing emoluments' of the employee;
- (ii) after the existing emoluments have been so increased, the pay shall thereafter be fixed in the revised scale at the stage next above the amount thus computed.

Provided that

- (a) if the minimum of the revised scale is more than the amount so arrived at, the pay shall be fixed at the minimum of the revised scale ;
- (b) if the amount so arrived at is more than the maximum of the revised scale, the pay shall be fixed at the maximum of that scale

Provided further that -

where in the fixation of pay, the pay of Railway servants drawing pay at more than four consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised scale at the same stage, the pay in the revised scale of such of these Railway servants who are drawing pay beyond the first four consecutive stages in the existing scale shall be stepped up to the stage where such bunching occurs, as under, by the grant of increment(s) in the revised scales in the following manner, namely:

- (a) for Railway servants drawing pay from the 5th upto the 8th stage in the existing scale - by one increment
- (b) for Railway servants drawing pay from the 9th upto the 12th stage in the existing scale, if there is bunching beyond the 8th stage - by two increments
- (c) for Railway servants drawing pay from the 13th upto the 16th stage in the existing scale, if there is bunching beyond the 12th stage - by three increments

If by stepping up of the pay as above, the pay of a Railway servant gets fixed at a stage in the revised scale which is higher than the stage in the revised scale at which the pay of a Railway servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former.

Provided also that -

the fixation thus made shall ensure that every employee will get atleast one increment in the revised scale of pay for every three increments [inclusive of stagnation increment(s), if any] in the existing scale of pay.

Explanation: For the purpose of this clause "existing emoluments" shall include,

- (a) The basic pay in the existing scale ;
 - (b) dearness allowance appropriate to the basic pay admissible at index average 1510 (1960=100), and
 - (c) the amounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale;
- (B) in the case of employees who are in receipt of special pay/allowance in addition to pay in the existing scale which has been recommended for replacement by a scale of pay without any special pay/allowance, pay shall be fixed in the revised scale in accordance with the provisions of clause (A) above except that in such cases "existing emoluments" shall include -
- (a) The basic pay in the existing scale ;

- (b) existing amount of special pay/allowance ;
 - (c) admissible dearness allowance at index average 1510 (1960=100) under the relevant orders; and
 - (d) the amounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale and special pay under the relevant orders;
- (C) in the case of employees who are in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the existing scales, such as personal pay for promoting small family norms, special pay to Parliament Assistants, Central (Deputation on Tenure) Allowance, etc., and in whose case the same has been replaced in the revised scale with corresponding allowance/pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of clause(A) above. In such cases the allowance at the new rate as recommended shall be drawn in addition to pay in the revised scale of pay;
- (D) in the case of Railway medical officers who are in receipt of non-practising allowance, the pay in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of clause(A) above except that in such cases the term "existing emoluments" shall not include NPA and will comprise only the following
- (a) the basic pay in the existing scale;
 - (b) dearness allowance appropriate to the basic pay & non practising allowance admissible at index average 1510(1960=100) under the relevant orders; and
 - (c) the amounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale and non-practising allowance under the relevant orders,
- and in such cases, non-practising allowance at the new rates shall be drawn in addition to the pay so fixed in the revised scale.

Note 1 - The Railway servants drawing pay upto the stage of Rs. 1030 in the existing scale of Rs.775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 shall be fixed in S-2 scale of pay and those drawing pay beyond the stage of Rs.1030 shall be fixed in S-3 scale of pay.

Note 2 - Where the increment of a Railway servant falls on the 1st day of January, 1996, he shall have option to draw the increment in the existing scale or the revised scale.

Note 3 - Where a Railway servant is on leave on the 1st day of January, 1996, he shall become entitled to pay in the revised scale of pay from the date he joins duty. In case of Railway servant under suspension he shall continue to draw

subsistence allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised scale of pay will be subject to final order on the pending disciplinary proceedings.

Note 4 - Where a Railway servant is holding a permanent post and is officiating in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule with reference to the officiating post only, and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.

The provisions of this Note shall apply, mutatis-mutandis to Railway servants holding in an officiating capacity posts on different existing scales which have been replaced by a single revised scale.

Note 5 - Where the existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), clause (B), clause (C) or clause (D), as the case may be, exceed the revised emoluments in the case of any Railway servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 6 - Where in the fixation of pay under sub-rule (1), pay, of a Railway servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1st day of January, 1996, more pay than another Railway servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised scale at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same stage in the revised scale as that of the junior.

Note 7 - Where a Railway servant is in receipt of personal pay on the 1st day of January, 1996, which together with his existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), clause (B), clause (C) or clause (D), as the case may be, exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such Railway servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 8 - In the case of employees who are in receipt of personal pay for passing Hindi Pragma, Hindi Typewriting, Hindi Shorthand and such other examinations under the "Hindi Teaching Scheme", or on successfully undergoing training in cash and accounts matters prior to the 1st day of January, 1996, while the personal pay shall not be taken into account for purposes of fixation of initial pay in the revised scales, they would continue to draw personal pay after fixation of their pay in the revised scale on and from the 1st day of January, 1996, or subsequently for the period for which they would have drawn it but for the fixation of their pay in the revised scale. The quantum of such personal pay would be paid at the appropriate rate of increment in the revised scale from the date of fixation of pay for the period for which the employee would have continued to draw it.

Explanation :- For the purpose of this Note, "appropriate rate of increment in the revised scale" means the amount of increment admissible at and immediately beyond the stage at which the pay of the employee is fixed in the revised scale.

Note 9 - In cases, where a senior Railway servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 1996, draws less pay in the revised scale than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 1996, the pay of the senior Railway servant should be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior Railway servant subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

- (a) both the junior and the senior Railway servants should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre.
- (b) the pre-revised and revised scales of pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical.
- (c) the senior Railway servants at the time of promotion have been drawing equal or more pay than the junior.
- (d) the anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of Rule 1313(FR22) of Indian Railway Establishment Code, Volume II or any other Rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised scale. If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, provision of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior officer.

The order relating to re-fixation of the pay of the senior officer in accordance with the above provisions should be issued under Rule 1321 (FR 27) of Indian Railway Establishment Code, Volume II and the senior officer will be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.

(2) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule(1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the stage next above the substantive pay.

8. **Date of next increment in the revised scale -**

The next increment of a Railway servant whose pay has been fixed in the revised scale in accordance with sub-rule (1) of rule 7 shall be granted on the date he would have drawn his increment, had he continued in the existing scale :

Provided that in cases where the pay of a Railway servant is stepped up in terms of Note 6 or Note 9 to sub-rule (1) and also second proviso to sub-rule(1)

of rule 7, the next increment shall be granted on the completion of qualifying service of twelve months from the date of the stepping up of the pay in the revised scale.

Provided further that in cases other than those covered by the preceding proviso, the next increment of a Railway servant, whose pay is fixed on the 1st day of January, 1996, at the same stage as the one fixed for another Railway servant junior to him in the same cadre and drawing pay at a lower stage than his in the existing scale, shall be granted on the same date as admissible to his junior, if the date of increment of the junior happens to be earlier.

Provided also that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January, 1996, next increment in the revised scale shall be allowed on the 1st day of January, 1996.

Note 1— In cases where two existing scales, one being promotional scale for the other are merged, and the junior Railway servant, now drawing his pay at equal or lower stage in the lower scale of pay, and happens to draw more pay in the revised scale than the pay of the senior Railway servant in the existing higher scale, the pay of the senior Railway servant in the revised scale shall be stepped upto that of his junior from the same date and he shall draw next increment after completing the qualifying period from the date of such stepping up of pay.

9. Fixation of pay in the revised scale subsequent to the 1st day of January, 1996 :-

Where a Railway servant continues to draw his pay in the existing scale and is brought over to revised scale from a date later than the 1st day of January, 1996, his pay from the later date in the revised scale shall be fixed under the Railway Fundamental Rules and for this purpose his pay in the existing scale shall have the same meaning as of existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), clause (B), clause (C) or clause (D), as the case may be, of sub-rule (1) of rule 7 except that the basic pay to be taken into account for calculation of those emoluments will be the basic pay on the later date aforesaid and where the Railway servant is in receipt of special pay or non practising allowance, his pay shall be fixed after deducting from those emoluments an amount equal to the special pay or non-practising allowance, as the case may be, at the revised rates appropriate to the emoluments so calculated.

10. Fixation of pay on reappointment after the 1st day of January, 1996 to a post held prior to that date :-

A Railway servant who had officiated in a post prior to the 1st day of January, 1996, but was not holding that post on that date and who on subsequent appointment to that post draws pay in the revised scale of pay shall be allowed the benefit of the proviso to Rule 1313 (FR22) of the Indian Railway Establishment Code,

Volume II, to the extent it would have been admissible had he been holding that post on the 1st day of January, 1996, and had elected the revised scale of pay on and from that date.

11. **Mode of payment of arrears of pay :-**

The arrears would be paid in cash with the stipulation that where the amount of arrears is less than Rs.5000, it should be paid in one instalment and where it is in excess of Rs.5000, it should be paid in two instalments; in the first instalment payment should be restricted to Rs.5000 plus fifty percent of the balance amount of arrears.

Explanation :- For the purposes of this rule :

- (a) "arrears of pay", in relation to a Railway servant, means the difference between :
- (i) the aggregate of the pay and allowances to which he is entitled on account of the revision of his pay and allowances under these rules, for the relevant period; and
 - (ii) the aggregate of the pay and allowances to which he would have been entitled (whether such pay and allowances had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.
- (b) "relevant period" means the period commencing on the 1st day of January, 1996, and ending with the 30th September, 1997.

12. **Overriding effect of Rules :-**

The provisions of the Railway Fundamental Rules, the Railway Services (Revision of Pay) Rules, 1947, the Railway Services (Authorised Pay) Rules, 1960, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973 and the Railway Services (Revised Pay) Rules 1986, shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

13. **Power to relax :-**

Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

14. **Interpretation :-**

If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Railway Board for decision.

THE FIRST SCHEDULE
(SEE RULES 3 & 4)

Revised scales for posts carrying present scales in Group 'D', 'C', 'B' & 'A', except posts for which different revised scales are notified separately, in the Offices of - (1) Railway Board Secretariat, (2) Research, Designs & Standards Organisation, Lucknow (3) Railway Staff College, Vadodara, (4) Railway Rates Tribunal, Chennai, (5) Railway Claims Tribunal New Delhi (6) Rail Movements (Coal), Calcutta, (7) All Railway Recruitment Boards, (8) Indian Railway Institute of Signal Engineering & Telecommunication, Secunderabad, (9) Indian Railway Institute of Civil Engineering, Pune, (10) Indian Railway Institute of Electrical Engineering, Nasik, (11) Indian Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur, (12) Centre for Advanced Maintenance Technology, Gwalior.

S. NO	SCALE NO.	PRESENT SCALE (Rs.)	REVISED SCALE (Rs.)
1	2	3	4
1.	S-1	750-12-870-14-940	2550-55-2660-60-3200
2.	S-2	775-12-871-14-1025	2610-60-3150-65-3540
3.	S-3	800-15-1010-20-1150	2650-65-3300-70-4000
4.	S-4	825-15-900-20-1200	2750-70-3800-75-4400
5.	S-5	(a) 950-20-1150-25-1400 (b) 950-20-1150-25-1500 (c) 1150-25-1500 *	3050-75-3950-80-4590
6.	S-6	(a) 975-25-1150-30-1540 (b) 975-25-1150-30-1660	3200-85-4900

* personal to the incumbents (Ref. PC-IV/86/Imp/Schedule/1 dated 6.3.1987)

S. NO 1	SCALE NO. 2	PRESENT SCALE (Rs.) 3	REVISED SCALE (Rs.) 4
7.	S-7	1200-30-1440-30-1800 1200-30-1560-40-2040 1320-30-1560-40-2040	4000-100-6000
8.	S-8	(a) 1350-30-1440-40-1800-50-2200 (b) 1400-40-1800-50-2300	4500-125-7000
9.	S-9	(a) 1400-40-1600-50-2300-60-2600 (b) 1600-50-2300-60-2660	5000-150-8000
10.	S-10	1640-60-2600-75-2900	5500-175-9000
11.	S-10 A	1640-60-2600-75-2900	6000-190-9800 (See note 4 below)
12.	S-12	(a) 2000-60-2300-75-3200 (b) 2000-60-2300-75-3200-100-3500	6500-200-10500
13.	S-13	(a) 2375-75-3200-100-3500	7450-225-11500
14.	S-14	2500-4000 (PROPOSED NEW PRE-REVISED SCALE) (see note 1 & 3 below)	7500-250-12000
15.	S-15	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
16.	S-19	(a) 3000-100-3500-125-4500 (b) 3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
17.	S-21	3700-125-4700-150-5000	12000-375-16500
18.	S-24	(a) 4100-125-4850-150-5300# (b) 4500-150-5700	14300-400-18300
19.	S-26	(a) 5100-150-5700 (b) 5100-150-6150	16400-450-20000
20.	S-27	5100-150-6300-200-6700	16400-450-20900

For RPF, the scale will be personal to the incumbents. The number of posts in this scale will be separately notified.

S. NO	SCALE NO.	PRESENT SCALE (Rs.)	REVISED SCALE (Rs.)
1	2	3	4
21.	S-29	(a) 5900-200-6700 (b) 5900-200-7300	18400-500-22400
22.	S-30	7300-100-7600	22400-525-24500
23.	S-31	7300-200-7500-250-8000	22400-600-26000
24.	S-32	7600/- FIXED	24050-650-26000
25.	S-33	8000/- FIXED	26000/- FIXED

INSTRUCTIONS:-

- (1) The revised scales of pay are applicable for all categories of Railway servants irrespective of their designations strictly on the basis of the existing scales of pay except those who are covered by S.No. 13 (S-14) which is applicable only to Group 'B' officers of Railways in present scale Rs.2375-75-3050-100-3750 (except Railway Board & RDSO). Fixation is to be made directly in the Revised scale & not in the notional pre-revised scale.
- (2) The existing classification of Railway servants in Group 'D', 'C', 'B' & 'A' on the basis of the existing scales of pay will continue in the revised scales till further orders. No change in the classification should be made in the revised scales.
- (3) The proposed new pre revised scale of Rs.2500-4000 (as it corresponds to a revised scale of Rs.7500-12000) is lower scale than Rs.2200-4000 (as it corresponds to a revised scale of Rs.8000-13500).
- (4) The revised scale S-10 A(Rs.6000-190-9800) is specific to the category of Mail/ Express/ Sr.Passenger Drivers/ Sr.Motormen in the present scale of Rs.1640-60-2600-75-2900. It is not applicable to any other category of staff.

THE SECOND SCHEDULE

FORM OF OPTION

[See Rule 6(D)]

* (i) I _____ hereby elect the revised scale with effect from 1st January, 1996.

* (ii) I _____ hereby elect to continue on the existing scale of pay of my substantive/officiating post mentioned below until :
 * the date of my next increment
 * the date of my subsequent increment raising my pay to Rs. _____
 * I vacate or cease to draw pay in the existing scale.

Existing scale _____

* (iii) I _____ hereby elect to draw my increment falling on 1.1.96 * a) in the existing scale _____ OR
 * b) in the revised scale ##

Signature _____

Name _____

Designation _____

Office in which employed _____

Date :

Station :

* To be scored out if not applicable

Ref: Note 2 of Rule 7

ACKNOWLEDGEMENT

Received from *Shri/Smt/Kum. _____
 *S/o/D/o/W/o _____ Designation _____ Office/ Station _____
 _____ an option :

*(i) electing the revised scales of pay for all the posts from the 1st day of
 January, 1996.

*(ii) electing to continue on the existing scale of pay of his substantive/
 officiating post mentioned below until

* the date of his next increment

* the date of his subsequent increment raising his pay to Rs. _____

* he vacates or ceases to draw pay in the existing scale.

Existing scale _____

*(iii) electing to draw his increment falling on 1.1.96 * a) in the existing
 scale _____ OR * b) revised scale#

Signature _____

Designation _____

Office in which employed _____

Date :
 Station

* to be scored out if not applicable.

Rel. Note 2 of Rule 7

The First Schedule relates to only posts in the Office or the Railway Board and its attached and subordinate offices. The schedule in respect of posts on Railways, Production Units, Projects and other offices is being issued separately under executive orders.

**MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE RAILWAY SERVICES
(REVISED PAY) RULES, 1997**

- Rule 1-** This rule is self-explanatory.
- Rule 2 -** This rule lays down the categories of employees to whom the rules apply. Except for the categories excluded under clause (2), the rules are applicable to all persons under the rule making control of the President serving under the administrative control of the Railway Board.
- Rule 3 -** This rule is self-explanatory.
- Rule 4 -** The recommendations of the Commission on pay scales for certain categories/class of employees of the Central Government, have given rise to representations from other categories of employees on the ground of upsetting the existing relativities and parities. In all such cases, where the recommendation is for upgradation of pay scales for individual categories of posts in a Department or cadre otherwise than by rationalisation of pay scales, for the present the normal replacement pay scales for the existing scales of pay as shown in the First Schedule shall be allowed. Separate orders in such cases will be issued subsequently.
- Rule 5 -** The intention is that all Railway servants should be brought over to the revised scale except those who elect to draw pay in the existing scales. Those who exercise the option to continue on the existing scales of pay will continue to draw the dearness allowance and interim reliefs at the rates in force on the 1st January, 1996, and the dearness allowance will count towards the emoluments for pension, etc. to the extent it so counted on the said date. If a Railway servant is holding a permanent post in a substantive capacity and officiating in a higher post or would have officiated in one or more posts but for his being on deputation etc, he has the option to retain the existing scale only in respect of one scale. Such a Railway servant may retain the existing scale applicable to a permanent post or any one of the officiating posts. In respect of the remaining posts he will necessarily have to be brought over to the revised scales.
- Rule 6 -** This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who should be apprised of such option. The option has to be exercised in the appropriate form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Railway Servant to exercise the option within the specified time limit but also to ensure

that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time these rules are promulgated, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they take over charge of the post in India. In the case of Railway Servants the revised scales of whose posts are announced subsequent to the date of issue of these rules, the period of three months will run from the date of such announcement.

Persons who have retired between 1st January, 1996, and the date of issue of these rules are also eligible to exercise option.

Rule 7(1) This rule deals with the actual fixation of pay in the existing scales on 1st day January, 1996. A few illustrations indicating the manner in which pay of Railway servants should be fixed under this sub rule subject to stepping up of pay under Notes below rule 7(1) are given below :-

Illustration No.1

1.	Existing Scale of Pay	Rs.750-12 870-14 940
2.	Proposed Scale of Pay	Rs.2550-55 2660-60 3200
3.	Existing Pay	Rs.786
4.	D. A. as on 1.1.96 (at index level 1510)	Rs.1163
5.	1st Instalment of I.R.	Rs.100
6.	2nd Instalment of I.R. @ 10% of basic pay subject to min. of Rs.100.	-----
7.	Existing emoluments	Rs.2149
8.	Add 40% of basic pay	Rs. 314
	Total	Rs.2463
9.	Stage next above in the proposed scale including benefit of bunching, if admissible.	Rs.2550 (Minimum)
10.	If 1 increment is ensured in the proposed scale for every 3 increments in the existing scale, the stage of pay in the proposed scale.	Rs.2605
11.	Pay to be fixed in the	Rs.2605

proposed scale (stage of pay at Sl. No. 9 or 10 whichever is higher).

Illustration No. II

1.	Existing Scale of Pay	Rs.1640-60-2600-75-2900
2.	Proposed Scale of Pay	Rs.5500-175-9000
3.	Existing Pay	Rs.2360
4.	D. A. as on 1.1.96 (at index level 1510)	Rs.3493
5.	1st Instalment of I.R.	Rs.100
6.	2nd Instalment of I.R. @ 10% of basic pay subject to min. of Rs.100.	Rs.236
7.	Existing emoluments	Rs.6189
8.	Add 40% of basic pay	Rs. 944
	Total	Rs.7133
9.	Stage next above in the proposed scale including benefit of bunching, if admissible.	Rs.7250
10.	If 1 increment is ensured in the proposed scale for every 3 increments in the existing scale, the stage of pay in the proposed scale.	Rs.6200
11.	Pay to be fixed in the proposed scale (stage of pay at Sl. No. 9 or 10 whichever is higher).	Rs.7250

Illustration No. III

1.	Existing Scale of Pay	Rs.4500-150-5700
2.	Proposed Scale of Pay	Rs.14300-400-18300
3.	Existing Pay	Rs.5400
4.	D. A. as on 1.1.96 (at index level 1510)	Rs.5994
5.	1st Instalment of I.R.	Rs.100
6.	2nd Instalment of I.R. @ 10% of basic pay subject to min. of Rs.100.	Rs.540

7.	Existing emoluments	Rs. 12034
8.	Add 40% of basic pay	Rs. 2160
	Total	Rs. 14194
9.	Stage next above in the proposed scale including benefit of bunching, if admissible.	Rs. 14700
10.	If 1 increment is ensured in the proposed scale for every 5 increments in the existing scale, the stage of pay in the proposed scale.	Rs. 15100 (two increments for 6 increments in the existing scale)
11.	Pay to be fixed in the proposed scale (stage of pay at Sl. No. 9 or 10 whichever is higher).	Rs. 15100

Rule 7(2): The benefit of this rule is not admissible in cases where a Railway servant has elected the revised scale in respect of his substantive post, but has retained the existing scale in respect of an officiating post.

Rule 8: This rule prescribes the manner in which the next increment in the new scale should be regulated. The provisos to this rule are intended to eliminate the anomalies of junior Railway Servants drawing more pay than their senior by the operation of the substantive part of this rule and also taking care of the Railway servants who have been drawing pay at the maximum of the existing scale for more than one year as on 1.1.96, and also those Railway servants who have been stagnating at the maximum of the existing scale and are actually in receipt of stagnation increment on ad hoc basis.

Rule 9 to 14: These rules are self explanatory.

[No. PC-V/I/No. PC-V/97/I/RSRP/1]

V.K. AGARWAL, Member (Staff),
Railway Board and Ex-Officio Secretary